

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम न. 2022/496
मुकदमा नम्बर 166/2022

दायर दिनांक-14.10.2022

1. सरदार सिंह पुत्र नौरंगराम
2. हरिसिंह पुत्र नौरंगराम
3. मामराज पुत्र नौरंगराम
4. गौरी शंकर पुत्र नौरंगराम
5. संतोष पुत्री नौरंगराम
6. सुभीता पुत्री नौरंगराम जाति जाट निवासीगण निवाई तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू
..... वादी

बनाम

1. जगमाल पुत्र हरफुल
2. सुभाष पुत्र हरफुल
3. अनिषा पुत्री श्रीचन्द
4. विकास पुत्र श्रीचन्द
5. सरबती पत्नी श्रीचन्द
6. मंजू पुत्री मघाराम
7. राजेन्द्र पुत्र मघाराम
8. विनोद पुत्री मघाराम
9. पतासी देवी पत्नी मघाराम
10. दयाराम चौधरी पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासीगण निवाई तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू
11. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडोदा शाखा नवलगढ़ तहसील नवलगढ़
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड हॉल्डर तहसील नवलगढ़, जिला झुझुनू
..... प्रतिवादी

दावा -विभाजन

प्रतिनिधित्व:-

वकील वादी- श्री सुरेन्द्र सिंह भर्मा
वकील प्रतिवादी 1 लगा. 12 - एक पक्षीय

:-निर्णय:-


निर्णय दिनांक 19.07.2023

वाद वादी दिनांक 10/08/2023 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया था तथा तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया था। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./24/1594 दिनांक

.....
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुझुनू)

16/05/2024 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील वादी द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव सहमति व्यक्त की गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायोचित होने से बाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। सुलभ संदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैंड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(जयसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़
जिला- मुझुंगू

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
श्री जयसिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीएसएम न. 2022/496

मुकदमा नम्बर 166/2022

दायर दिनांक-14.10.2022

(सरदार सिंह वगै0 बनाम जगमाल वगै0)

दावा -विभाजन

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रुबरु श्री जयसिंह (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रुबरु वकील प्रतिवादीगण मनजानिब- मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

वाद वादी दिनांक 10/08/2023 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया था तथा तहसीलदार नवलगढ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी मे कब्जे काशत के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया था। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./24/1594 दिनांक 16/05/2024 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील वादी द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव सहमति व्यक्त की गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायोचित होने से वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। सुलम संदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

जन.....-..... मुबलिंग.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह...
.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक-.....का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 19 माह 07 सन 2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	1.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सद्धत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-
मुत्तफरिक मिजान	1.00	मुत्तफरिक मिजान	0.00